# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जयपुर–राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 31/2025

उनवान

1. संतोष पुरी पुत्र मांगूपुरी उर्फ मांग्यापुरी जाति गुसाई, निवासी धानोता, तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

–प्रार्थी

बनाम

1. चौथमल पुत्र कन्हैयालाल
2. मंगली देवी पत्नी बंशीधर
3. मोहनी देवी पत्नी गंगाराम
   व्यस्कान, जाति अहीर, निवासी तिगरिया, तहसील चौमु, जिला जयपुर
4. जयपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा–शाहपुरा जिला जयपुर, जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. उपपंजीयक अधिकारी उपपंजीयन कार्यालय उपतहसील अमरसर तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)।
6. नायब तहसीलदार उपतहसील अमरसर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर. (राज0)
7. पटवारी हल्का धानोता, तहसील– शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

–अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र बाबत् नवीन रास्ता चाहने हेतु अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010**

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

निर्णय दिनांक :– 27/4/26

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार हाल आराजी खसरा नं0–110/0.42, 111/1.09, 112/0.16, 113/0.10, 115/0.02 116/0.04 119/0.95 है0 कुल किता–7 रकबा 2.78 है0 ग्राम धानोता तहसील– शाहपुरा जिला जयपुर स्थित है। नकल जमाबन्दी हाल सं0–2074 से 2077 खाता सं0–302 संलग्न प्रार्थना पत्र है। उपरोक्त भूमि प्रार्थी व प्राथी के अन्य सहखातेदारान की खातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थी 1/24 भाग का खातेदार काश्तकार है व अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को काबिज रहकर काश्त व उसका उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र की खण्ड सं0–1 में वर्णित भूमि खसरा नं0–110 के दक्षिण में लगती हुई हाल खसरा नं0 107/0.52, 108/0.02 गैर मु० जोशीवाला व पूर्व में हाल खसरा नं0–109/0.16 है0 ग्राम धानोता तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर स्थित है जिसके 1/3 भाग की खातेदारी अप्रार्थी सं0–1

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

के व 1/3 भाग की खातेदारी अप्रार्थी सं0–2 के व 1/3 भाग की खातेदारी अप्रार्थी सं0–3 के नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी हाल सम्वत 2074 से 2077 खाता सं0–476 संलग्न प्रार्थना पत्र है।. यह कि हाल आराजी खसरा नं0–107, 108 109 ग्राम धानांता दक्षिण की तरफ ग्राम तिगरिया तहसील चौमू की सीमा से लगता हुआ है व उपरोक्त भूमि हाल खसरा नं0– 107 108 के दक्षिण में लगता हुआ ग्राम तिगरीया तहसील चौमू का हाल खसरा नं0–3358/57/0.0611, 3360/56/0.0777 कुल किता–2 रकबा 0.1388 है0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है नकल जमाबन्दी हाल सं0–2073 से 2076 खाता सं0–674 ग्राम तिगरीया तहसील चौमू संलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि हाल खसरा नं0–112 में अपना पुख्ता मकान बना रखा है व हाल खसरा नं0–115 में मन्दिर मठेश्वर महादेव (शिव) बना हुआ है प्रार्थी अपने उक्त मकान में मय परिवार निवास करता है व मन्दिर की सेवा पूजा व अपने हिस्से की भूमि काश्त करता आ रहा है प्रार्थी उपरोक्त भूमि में बने मकानों से अप्रार्थीगण सं0–1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि हाल खसरा नं0–107 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण की तरफ करीब 13 फुट चौड़े रास्ते से हाल खसरा नं0–107 के दक्षिण में ग्राम तिगरीया की सीमा से लगते हाल खसरा नं0–3358/57 की उत्तरी सीमा तक आता जाता है व अपने वाहन ट्रैक्टर मय ट्रोली, जीप व कृषि संसाधन लाता ले जाता है व हाल खसरा नं0–3358/57 ग्राम तिगरीया तहसील चौमू की उत्तरी सीमा से हाल खसरा नं0–107 की दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर की तरफ हाल खसरा नं0–110 की दक्षिणी सीमा तक आता जाता है। यह कि प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थी हाल खसरा नं0–110 की दक्षिणी सीमा से लगते हुये हाल खसरा नं0–107 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 13 फुट चौडे रास्ता हाल खसरा नं0–107 की दक्षिणी सीमा तक ग्राम तिगरीया के हाल खसरा नं0–3358/57 की उत्तरी सीमा तक जिसे संलग्न छाया प्रति नक्शा में लाल लाईन से दर्शाया है आता जाता है प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की आत्यतिक आवश्यकता है तथा यह भूमि सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है व प्रार्थी की भूमि तक पहुँच के लिये लघुतम व निकटतग स्थिति है इसके अलावा अन्य कोई विकल्य प्रार्थी के पास उपलब्ध नहीं है। यह कि प्रार्थी द्वारा कथित रास्ता जो हाल नक्शा ट्रेस छायाचित्र में लाल लाईन से दर्शित व सीमाकिंत व प्रदर्शित किया है उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित किया जाना तथा अप्रार्थीगण सं0–1 लगायत 3 के नाम अंकित उक्त भूमि के सम्बन्ध में दर्ज खातेदारी निवार्चित किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है जिसके लिये प्रार्थी उचित एवं न्यायसंगत प्रतिकर संदाय करने के लिए तैयार है। यह कि अप्रार्थी सं0–1 लगायत 3 ने प्रार्थी के विरुद्ध एक नाजायज संगठन बना रखा है व बिना किसी अधिकार के प्रार्थीगण के आने जाने के रास्ता में बाधा उत्पन्न करते हैं व रास्ता बंद

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

करना चाहते है जिसकी उन्होंने प्रार्थी को दो रोज पूर्व स्पष्ट धमकी दी। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उक्त कथित रास्ते की भूमि को राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज कराने व अप्रार्थीगण सं0–1 लगायत 3 के नाम दर्ज खातेदारी समाप्त करवाने के लिये कहा तो उससे इनकार हो गये बल्कि अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि को अन्य दीगर को रहन विक्रय हस्तान्तरण करने व राजस्व रिकॉर्ड व मौका स्थिति में परिवर्तन करने व रास्ते में निर्माण कार्य कर रास्ता बन्द करने व प्रार्थी को रास्ते का उपयोग उपभोग नहीं करने व उक्त रास्ते की भूमि पर जबरन काश्त करने व पुख्ता निर्माण कार्य कर रास्ता बन्द करने की धमकी दी इसलिये प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र मयशपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हाल नक्शा ट्रेस छायाप्रति में लाल लाईन से प्रस्तावित रास्ता हाल खसरा नंबर 110 ग्राम धानोता तहसील शाहपुरा की दक्षिणी सीमा से हाल खसरा नंबर 107 की पश्चिमी सीमा से उत्तर से दक्षिण हाल खसरा नंबर 107 की दक्षिणी सीमा तक व ग्राम तिगरीय तहसील चौमू के हाल खसरा नंबर 3358/57 की उत्तरी सीमा तक 13 फुट चौडा रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अभिलिखित किया जाकर उक्त भूमि की अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी निर्वासित की जावे व उसका अमल दरामद हाल राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में कराया जावे तत्पश्चात अप्रार्थीगण उनके नौकर प्रतिनिधि एजेन्ट वारिसान स्थानापन्नों आदि को सदैव के लिये पाबंद फरमाया जावे कि वे उक्त रास्ता पर प्रार्थी के आवागमन व उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करें न किसी प्रकार का निर्माण कार्य ही करें एवं न ही प्रस्तावित रास्ते को किसी भी प्रकार से बन्द ही करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शाहपुरा को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री झाबर सिंह यादव ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/रीडर/2025/4012 दिनांक 09.12.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट वकील प्रार्थी ने आपत्ति प्रार्थना–पत्र पेश किया। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब आपत्ति प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। नकल दिलाई गई।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र एवं आपत्ति प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट मान्य न्यायालय के आदेश के विपरीत बनाई गई है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 107 ग्राम धानोता में से प्रस्तावित रास्ता हाल खसरा नंबर 110 की दक्षिणी सीमा से लगते हुये हाल खसरा नंबर 107 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 13 फुट चौडा रास्ता हाल खसरा नंबर 107 की दक्षिणी सीमा तक ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
...(जयपुर) राज.

तिगरीया के हाल खसरा नंबर 3358/57 की उतरी सीमा तक चाहा है जिसके बावत् तहसीलदार शाहपुरा द्वारा कोई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है एवं न ही प्रस्तावित रास्ते की लंबाई चौडाई व डी एल सी दर की ही रिपोर्ट की है। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा ग्राम तिगरीया के खसरा नंबर 3365/68 में से रास्ता चालू होना बताया गया है जो कि गलत है व अपने क्षेत्र के बाहर जाकर अप्रार्थीगण से मिलकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है इसलिये तथाकथित रिपोर्ट को निरस्त कर पुनः प्रार्थी द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ते हाल खसरा नंबर 107 ग्राम धानोता तहसील शाहपुरा के संबंध में रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायसंगत व आवश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अपास्त कर पुनः हाल खसरा नंबर 107 ग्राम धानोता तहसील शाहपुरा के संबंध में रिपोर्ट मंगवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने बदनियति से हाल खसरा नंबर 107, 108, 109 ग्राम धानोता से लगते रास्ते खसरा नंबर 3365/68 का उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया है प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के साथ नक्शा भी बदनियति से आधा अधूरा पेश किया है एवं वास्तविक स्थिति का उल्लेख माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं किया है। प्रार्थीगण की भूमि का न्यायालय आदेश से तकास्मा रास्ता छोड़कर किया गया है कि प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु मुख्य सड़क से हाल आराजी खसरा नंबर 3365/68 से रास्ता छोडा गया है जो वर्तमान में रास्ते के रूप में काम आ रहा है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में कही भी यह सिद्ध नहीं किया है कि प्रार्थी को अपनी भूमि में पहुॅच का वैकल्पिक मार्ग मौजूद नहीं है एवं रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में स्पष्ट जाहिर किया है कि प्रार्थी के पास पहले से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। यदि प्रार्थीगण के पास पहले से रास्ता मौजूद है तो इससे यह जाहिर है कि प्रार्थी ने सुविधा हेतु न्यायालय को मुगालते में रखते हुए प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार प्रार्थी बदनियति से पूर्व में रास्ता मौजूद होने के बावजूद सुविधा के लिए नया रास्ता चाह रहा है जो विधि के अनुसार सही नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् आपत्ति तहसीलदार शाहपुरा रिपोर्ट मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 251 क खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली व तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में अंकन किया है कि प्रार्थी ने ग्राम तिगरिया में स्थित भूमि खसरा नंबर 3358/57 एवं 3360/56 में जाने हेतु

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

ग्राम धानोता के आराजी खसरा नंबर 107 में से रास्ते हेतु आवेदन किया है जबकि आराजी खसरा नंबर 3358/57 व 3360/56 में जाने हेतु खसरा नंबर 3365/68 में से रास्ता चालू है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 क में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नये मार्ग के मामले में पहुंचने में वैकल्पिक मार्ग का अभाव होने पर ही नया मार्ग दिया जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थी के पास पहले से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने से एवं तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट में उक्त मार्ग होने का स्पष्ट अंकन होने से वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् आपत्ति तहसीलदार रिपोर्ट में कोई बल नहीं होने से बल्कि सारहीन होने से खारिज किया जाता है एवं मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 251 क खारिज योग्य पाया जाता है।

## आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप प्रार्थी की भूमि आराजी खसरा नंबर 3358/57 व 3360/56 में जाने हेतु आराजी खसरा नंबर 3365/68 में से रास्ता होने के कारण अथवा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पहुंचने हेतु पहले से ही वैकल्पिक रास्ता आराजी खसरा नंबर 3365/68 में से मौजूद होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा – 251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 पोषणीय नहीं होने से न्यायिक दृष्टि से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/5/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(संजीव कुमार खेदड़, आर.ए.एस.)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.